प्रेस विज्ञप्ति

04/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइदीन कुट्टी के उर्फ एमके फैजी को 03.03.2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक फ्रन्ट है और एम के फैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 06 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

2. ईडी ने एनआईए, कोच्चि द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या आरसी-05/2013/एनआईए/केओसी दिनांक 07.08.2013 और एनआईए, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या आरसी-14/2022/एनआईए/डीएलआई दिनांक 13.04.2022 के साथ-साथ अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। जांच से पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और उन्हें वित्तपोषित करने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के माध्यम से भारत और विदेश से धन एकत्र कर रहे थे।

3. 03.12.2020 को पीएफआई और उसके पदाधिकारियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी कार्यवाही के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और जब्त किए गए, जिससे यह स्थापित होता है कि पीएफआई एसडीपीआई की गतिविधियों को नियंत्रित, वित्तपोषित और पर्यवेक्षण करता था; कि एसडीपीआई पीएफआई का एक मोर्चा है जिसमें उभय-निष्ठ सदस्य/कैडर और नेता हैं;कि एसडीपीआई अपने दैनिक कार्यों, नीति निर्माण, चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों का चयन, सार्वजनिक कार्यक्रम, कैडर जुटाने और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पीएफआई पर निर्भर थी। यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई कुछ अपराध-संकेती सामग्री इस प्रकार है:-

क) यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान **"संगठन और पार्टी के बारे में वैचारिक स्पष्टता"** शीर्षक वाला एक दस्तावेज बरामद किया गया:-

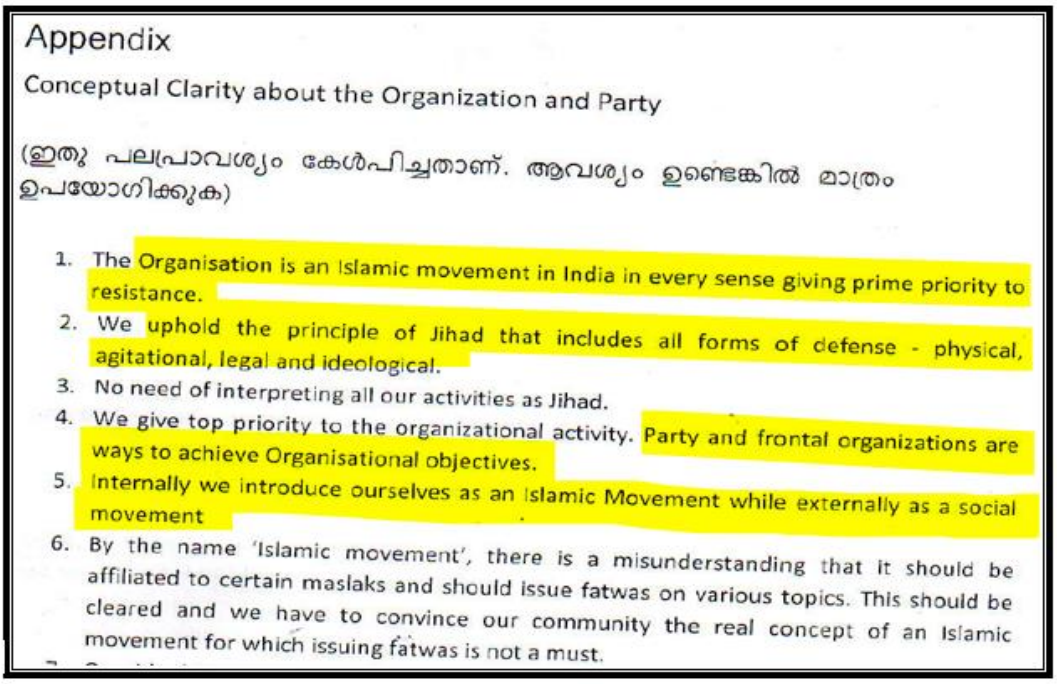

Appendix

Conceptual Clarity about the Organization and Party

(ഇതു പലപ്രാവശ്യം കേൾപിച്ചതാണ്. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക)

1. The Organisation is an Islamic movement in India in every sense giving prime priority to resistance.
2. We uphold the principle of Jihad that includes all forms of defense - physical, agitational, legal and ideological.
3. No need of interpreting all our activities as Jihad.
4. We give top priority to the organizational activity. Party and frontal organizations are ways to achieve Organisational objectives.
5. Internally we introduce ourselves as an Islamic Movement while externally as a social movement
6. By the name 'Islamic movement', there is a misunderstanding that it should be affiliated to certain maslaks and should issue fatwas on various topics. This should be cleared and we have to convince our community the real concept of an Islamic movement for which issuing fatwas is not a must.

यह दस्तावेज़ पीएफआई के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसे एक ऐसे संगठन के रूप में वर्णित करता है जो **सभी रूपों में जिहाद के सिद्धांतों का समर्थन** करके भारत में इस्लामी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह खुद को आंतरिक रूप से एक इस्लामी आंदोलन और बाहरी रूप से एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएफआई ने **एसडीपीआई (जिसे ऊपर बिंदु** 4 **में 'पार्टी' के रूप में संदर्भित किया गया है)** और कई फ्रंट संगठन स्थापित किए हैं।

ख) यूनिटी हाउस, कोझिकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान 'फैजी साहब')यानी एम.के.फैजी) को संबोधित एक पत्र बरामद किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए 'उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया' का उल्लेख है:

To:

Faizy Sahab,

Attached herein 'Election Procedure".. This is incorporated in 'POLICY DCISIONs" file which is already with Sayeed sahab and Jinnasahab. Furnished below the same.

8. Procedures of selec ng candidates

(1) Assembly Elec on:

- Discussion about candidates should be conducted at Assembly commi ees with the presence of District President & Secretary and a representa ve from the State Committee and also if any member of SWC/NWC belongs to respective districts"
- The proposal will be discussed in the District Commi ee and a list of proposed candidates will be submi ed to the State Commi ee.
- If the District/State/Central Commi ee proposes a separate name for the candidates the same should be properly conveyed to the assembly commi ee.
- Authorized persons from the State secretariat will conduct interview of the candidates, wherever necessary, in the presence of Central Representa ve and will shortlist the names.
- Finaliza on of candidates will be done by Central Secretariat in the presence of state president and general secretary concerned.

(2) Parliamentary Elec on(Loksabha):

- Discussion about Parliamentary cons tuency and candidates shall be conducted at District commi ee mee ng invi ng State Commi ee representa ve and the SEC/NWC members in the respec ve districts. The list of proposed candidates will be submi ed to the State Commi ee.
- If any LS constituency contains two districts, then the district committees of the two districts should be invited in the discussion about the parliamentary candidate.
- If the State/Central Commi ee proposes a separate name for the candidates the same should be properly conveyed to the district commi ee.
- Authorized persons from the State secretariat will conduct interview of the candidates, wherever necessary, in the presence of Central Representa ve and will shortlist the names.
- Finaliza on of candidates will be done by Central Secretariat in the presence of state president and general secretary concerned.

[NWC Mee ng 12 Jan 2016, Bangalore

उपर्युक्त दस्तावेज़ से पता चलता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (**PFI)** सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (**SDPI)** को विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के बारे में निर्देश दे रहा था। **"फ़ैज़ी साहब**" (यानी एम.के. फ़ैज़ी) को संबोधित यह पत्र, संगठन के कई स्तरों को शामिल करते हुए, उम्मीदवार चयन के लिए एक विस्तृत और संरचनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ग) इसके अलावा, बैठक के कार्यवृत्तों और हस्तलिखित दस्तावेजों की कई प्रतियां हैं, जो एसडीपीआई द्वारा लड़े गए चुनावों में पीएफआई द्वारा फंडिंग के साक्ष्यों, एसडीपीआई को खाड़ी देशों में फंड इकट्ठा करने के लिए पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) द्वारा दी गई मंजूरी, और यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई के केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज फौजदारी मामलों में आरोपी एसडीपीआई सदस्यों के लिए कानूनी खर्चों को पीएफआई द्वारा किए गए वहन का खुलासा करती हैं। उदाहरण के लिए, एक डायरी जब्त की गई जिसमें **16/17.03.2019** की पीएफआई की राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की बैठकों के हस्तलिखित कार्यवृत हैं, जो खुलासा करता हैं कि पीएफआई ने चुनाव संबंधी उद्देश्य के लिए एसडीपीआई को **3.75** करोड़ रुपये का फंड

दिया।

4. तलाशी के दौरान जब्त की गई डायरियों और अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित एसडीपीआई के लिए और उसकी ओर से पीएफआई द्वारा किए गए खर्च पीएफआई के बैंक खातों में नहीं दिखाई देते हैं। पीएफआई द्वारा इस तरह के फंड विदेशी देशों मुख्य रूप से खाड़ी देशों से भारत में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र किए गए हैं और इस तरह के फंड को भारत में रमदान संग्रह (आरसी) के नाम पर स्थानीय रूप से भी जुटाया गया है।

5. राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एम के फैजी का एसडीपीआई की गतिविधियों पर अधिकार और नियंत्रण था, जो अपराध के आगम अर्थात एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र के हिस्से के रूप में भारत के अंदर और बाहर पीएफआई द्वारा जुटाए गए धन का प्राप्तकर्ता, लाभार्थी और उपयोगकर्ता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि पीएफआई भारत में विभिन्न गैरकानूनी हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस तरह के धन को जुटाने और उपयोग करने के लिए एक गहरी आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में धन जुटाने की गतिविधियों में लगा हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि आज तक के अपराध के आगम **4.07** करोड़ रुपये है, जिसमें पीएफआई द्वारा संदिग्ध, अघोषित और बेहिसाब धन के माध्यम से की गई एसडीपीआई की फंडिंग शामिल है।

6. एम के फैजी को इस निदेशालय द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत कई बार समन किया गया और उन्हें 12 मौके दिए गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और जांच से भागते रहे। इसलिए, इस निदेशालय द्वारा 28/03/2024 को एम के फैजी के खिलाफ भादस की धारा 174 के तहत माननीय विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष इस निदेशालय के समक्ष उनकी गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। आगे, माननीय न्यायालय ने एम के फैजी के खिलाफ दिनांक 17/12/2024 के आदेश के तहत एक जमानती वारंट (बीडब्ल्यू) जारी किया। तदनुक्रम में, जमानती वारंट के निष्पादन न करने पर, एम के फैजी के खिलाफ दिनांक 17/01/2025 के आदेश के तहत एक गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया।

7. ईडी ने इस मामले में अब तक **61.72 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। अब तक इस मामले में माननीय विशेष न्यायालयों (पीएमएलए) के समक्ष **09 अभियोजन शिकायतें (पीसी)** दायर की गई हैं। इसके अलावा, इस मामले में पीएफआई के 26 पदाधिकारियों/सदस्यों/कैडरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीएफआई के अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी और सदस्य और पीएफआई की राज्य कार्यकारी परिषद (एनईसी और एसईसी) के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा (पीई) समन्वयक और प्रशिक्षक शामिल हैं, जो पीएफआई सदस्यों और कैडरों को हथियार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।